**UPSI**180000592004

**न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), महमूदाबाद सीतापुर।**

**दीवानी वाद सं०-41/2004**

**बाबूराम बनाम महाबीर आदि।**

---

पत्रावली पेश हुयी। वाद पुकारा गया। उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते निस्तारण कायम मुकामी प्रार्थना-पत्र 100 क 1 नियत है। वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र 100 क 1 के निस्तारण पर बल दिया गया।

**निस्तारण प्रार्थना-पत्र 100 क 1**

वादी द्वारा प्रार्थना-पत्र 100 क 1 अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 तथा आदेश 6 नियम 17 दीवानी प्रक्रिया संहिता इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी सं०-2 रामअकबाल की मृत्यु दिनांक 12.11.2023 को हो जाने के मृतक के स्थान पर उसके वारिसानों को कायम मुकाम बनाया जाना आवश्यक है। अतः वादी द्वारा वांछित संशोधन में वर्णित धारा 1 ता2 में उल्लिखित कथनों के आधार संशोधन किये जाने की याचना की गयी है।

प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कायम मुकामी प्रार्थना-पत्र की पुष्ट पर आपत्ति नहीं देने का कथन अंकित किया गया है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि वादी द्वारा प्रतिवादी सं०-2 रामअकबाल की मृत्यु हो जाने की दशा में मृतक के स्थान पर उसके वारिसानों को प्रतिस्थापित किये का कथन किया गया है। चूँकि वादी की ओर प्रस्तुत कायम मुकामी प्रार्थना-पत्र मियाद अवधि के भीतर है एवं प्रतिवादीगण की ओर से कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में कायम मुकामी प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

**आदेश**

प्रार्थना-पत्र 100 क 1 स्वीकार किया जाता है। वादी कायम मुकामी/वांछित संशोधन अविलम्ब करना सुनिश्चित करे। पत्रावली वास्ते जिरह पी०डब्लू-1 दिनांक 24.07.2024 को पेश हो।

**दिनांकः-18.07.2024**

( रंजीत कुमार जायसवाल )
सिविल जज (जू०डि०),
महमूदाबाद, सीतापुर।
**J.O Code-UP**3555

**vijay/-**

**UPSI**180000452004

Digitally signed by RANJEET KUMAR JAISWAL
Date: 2024.07.18 17:12:51 IST
Reason: Document Owner
Location: civil judge J.D/JM Sitapur